# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 8/2021
निर्णय दिनांक : 26.03.2024

1. गोपाल लाल पुत्र स्व० श्री प्रभुदयाल जाति वागडा ब्राहम्ण, निवारी ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. कन्हैयालाल पुत्र स्व० श्री प्रभुदयाल जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. बाबूलाल पुत्र स्व० श्री प्रभुदयाल जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. शान्ति देवी पुत्री केसर लाल शर्मा, पत्नि सत्यनारायण शर्मा, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. ग्यारसी देवी पुत्री मूलचन्द, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी प्लाट बी– 164, मालवीय नगर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. लादी देवी पत्नि स्व० गोपाल, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. मंजू देवी पत्नि कानाराम, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. जगदीश पुत्र स्व० श्री रामू, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. लक्ष्मण पुत्र स्व० श्री रामू, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. कान्ती चन्द पुत्र स्व. श्री भैरूं, जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. रमेश चन्द पुत्र स्व० श्री भैरूं, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी– प्लाट नम्बर बी–17 विधानगर जगतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9. प्रकाश पुत्र स्व० श्री भैरूं, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी मंगला माता के मन्दिर के पास, ब्रह्मपुरी, जयपुर।
10. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व० श्री भैरूं, जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी मंगला माता मन्दिर के पास, ब्रह्मपुरी, जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:34:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

12. नाथूलाल शर्मा पुत्र स्व० श्री रेखा उर्फ रामेश्वर, जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
13. शिवशंकर शर्मा उर्फ श्योजीराम शर्मा, पुत्र स्व० श्री रेखा उर्फ रामेश्वर, जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
14. कानाराम शर्मा उर्फ कन्हैयालाल शर्मा पुत्र स्व० रेखा उर्फ रामेश्वर, जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
15. हरिमोहन शर्मा उर्फ लालाराम शर्मा पुत्र स्व० श्री रेखा उर्फ रामेश्वर, जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
16. भौरी देवी पत्नि श्री भोलूराम बागडा पुत्री स्व० श्री रेखा उर्फ रामेश्वर, निवासी ग्राम हाज्या वाला, बागडो की ढाणी, पार्श्वनाथ नगर के पास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
17. प्रेम देवी पत्नी श्री कैलाश शर्मा, निवासी ग्राम नरहरि पुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
18. लाली देवी पत्नि श्री पप्पुलाल बागडा निवासी ग्राम नानकपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
19. ममता देवी पत्नि श्री बाबूलाल शर्मा, पुत्री स्व० श्री रेखा उर्फ रामेश्वर निवासी तोल काला की ढाणी, ग्राम भानपुरा कलाँ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
20. तुलसी देवी पत्नि श्री बोदूराम शर्मा पुत्री स्व० श्री रेखा उर्फ रामेश्वर निवासी तोल काला की ढाणी, ग्राम भानपुरा कलाँ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
21. मन्नी देवी पत्नि स्व० श्री रेखा उर्फ रामेश्वर, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रारूपी अप्रार्थीगण.........

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम**

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:34:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कब्जे खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 29 खसरा नंबर 836

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, 838 रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल किता 2 कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर ग्राम श्रीकिशनपुरा पटवार क्षेत्र विधाणी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजो की पैतृक सम्पति है जो प्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी श्री प्रताप पुत्र रामदेव जाति बागडा ब्राह्मण निवासी श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खातेदारी में थी, श्री प्रताप पुत्र रामदेव का देहान्त हो गया। उनके जायन्दा पुत्र श्री प्रभुदयाल, रेखाराम व भौरिया थे, जिनका भी देहान्त हो चुका है तथा श्री भौरिया, श्री प्रताप की सम्पति में से उनके जीवन काल में अपने हक हिस्से की सम्पति लेकर अलग हो गया तथा वर्तमान में प्रताप के खातेदारी भूमि उसके शेष वारिस प्रभुदयाल व श्री रेखाराम को विरासत में मिली है। श्री प्रभुदयाल व रेखाराम का भी देहान्त हो गया, उनके वारिसान प्रार्थीगण व प्रारूपी अप्रार्थीगण है, जो प्रार्थीगण व प्रारूपी विपक्षीगण इस आवेदन में दर्ज है जो श्री प्रताप के खातेदारी की भूमि में बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी की भूमि की खसरा नंबर 836 रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, 838 रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल किता 2 कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर ग्राम श्रीकिशनपुरा पटवार क्षेत्र विधाणी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर की भूमि सिवंजोड है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि को दबाये जाने कुत्सित कार्यवाही करते रहने से परेशान होकर प्रार्थीगण ने अपनी भूमि के पूरातन सींव पर तारबन्दी कर ली जो वर्तमान में मौजूद है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की पूर्व से बनी सींव को बिगाड कर, तोड कर प्रार्थीगण की भूमि को अवैध रूप से दबा कर कब्जा करने पर आमादा है। इस प्रकार उक्त विवाद के निस्तारण के लिए वादीगण की भूमि को विधिवत रूप से सीमाचिन्ह / पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण बाहुबल में प्रार्थी से अधिक सक्षम हैं तथा भूमाफिया लोगो के साथ मिलकर प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में जबरिया कब्जा करने व प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि को हड़पने के आशय से प्रार्थी की भूमि में आये दिन व्यवधान उत्पन्न करते रहते हैं। इसी अनुक्रम में दिनांक 05.05.2019 को भी अप्रार्थीगण व कुछ अन्य व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरिया कब्जा करने के प्रार्थी की भूमि की सींवं जबरन तोड–फोड कर अतिक्रमण करने [illegible] आमादा हुए। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को समझाया कि वे [illegible] जबरिया [illegible] भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थी की भूमि की सीमाए [illegible] रहे है। साथ ही उन्हे समझाया कि आप प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरिया अतिक्रमण नहीं करे। इस पर वे

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:34:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

लोग उस वक्त तो चले गये लेकिन धमकी देकर गये कि हम प्रार्थी की भूमि पर जबरिया कब्जा करके रहेगे। तुम्हारे जँचे सो करो। इस पर यह प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ। उपरोक्त मद संख्या 1 में वर्णित भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है। जिसपर प्रार्थी बहैसियत रेकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज होकर उक्त भूमि को उपयोग व उपभोग में लेता आ रहा है। प्रार्थी को अपनी उक्त भूमि को प्रत्येक प्रकार से उपयोग उपभोग में लेने का, काश्त करने का, उपजों को प्राप्त करने का तथा उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढ़ी आदि करवाने का पूर्णत वैधानिक अधिकार है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि की अप्रार्थी संख्या 11 एवं उसके अधिनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से पत्थरगढ़ी करवाये व अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाये कि वे प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने में अप्रार्थी संख्या 11 या उसके अधिनस्थ कर्मचारियों को कार्य में बाधा कारित न करे। व साथ ही अप्रार्थी संख्या 11 को आदेशित किया जावे कि वह प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढ़ी की कार्यवाही मौके पर करना सुनिश्चित करे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 11 को आदेशित फरमाया जावे कि वह प्रार्थी के खातेदारी की भूमि हाल खसरा नंबर 836 रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, 838 रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल किता 2 कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर ग्राम श्रीकिशनपुरा पटवार क्षेत्र विधाणी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर की सीमाओं का निर्धारण कर पत्थरगढ़ी करवाये व अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाये कि वे की पत्थरगढ़ी करवाने में अप्रार्थी संख्या 11 या उसके अधिनस्थ कर्मचारियों को कार्य में बाधा कारित न करे तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर जबरिया कब्जा करने या बिना उक्त भूमि की सीमा चिन्ह अंकित हुए स्थायी तामीरात सीमा के लगवार न करें, न ही प्रार्थी के अपनी भूमि के उपयोग–उपभोग करने में किसी प्रकार का व्यवधान कारित नहीं करे। ना ही अपने ऐजेन्ट सर्वेन्ट्स से करवाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। दिनाकं 05.03.2020 को पत्रावली पेश [illegible] अप्रार्थी संख्या 1, 4 की ओर से श्री हरीश शर्मा ने यू0टी0 [illegible] की ओर से श्री हरीश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया, [illegible] मय दस्तावेजात पेश किया। वकील प्रार्थी पुनः रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें। पत्रावली का अवलोकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:34:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

किया गया अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5, 6, 7, 8 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामिल कोई उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली में बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता की सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि ग्राम श्रीकिशनपुरा पटवार क्षेत्र विधाणी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि हाल खसरा नंबर 836 रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, 838 रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल किता 2 कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर की सीमा ज्ञान व स्थायी सीमा चिन्ह कायम की जाकर पत्थर गढी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

हमने बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है यदि अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण से सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर, अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की वाके ग्राम श्रीकिशनपुरा पटवार क्षेत्र विधाणी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि हाल खसरा नंबर 836 रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, 838 रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल किता 2 कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर की प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को सूचित कर, सभी की उपस्थिति में नियमानुसार ईडीएम मशीन से सीमाज्ञान कर ( ईडीएम मशीन का समस्त खर्चो प्रार्थीगण स्वयं वहन करेगें ), सीमाज्ञान–रिपोर्ट के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह )
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:34:28 IST
Reason: SelfAttested